पहला गोलमेज सम्मेलन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यक्रम था जो 12 नवंबर, 1930 से 19 जनवरी, 1931 तक लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के अपने प्रयासों के तहत बुलाया था। सम्मेलन में भारत के राजनीतिक भविष्य पर विचार-विमर्श करने के लिए विभिन्न भारतीय राजनीतिक नेताओं, ब्रिटिश अधिकारियों और रियासतों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं और परिणाम इस प्रकार हैं:

पृष्ठभूमि:

1. साइमन कमीशन: 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति के बाद से भारत में संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता चर्चा का विषय रही है। साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी के कारण भारत में व्यापक विरोध हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारतीय नेताओं के साथ बातचीत पर विचार करने के लिए प्रेरित होना पड़ा।
2. सविनय अवज्ञा आंदोलन: सम्मेलन की पृष्ठभूमि में, महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, जिसमें अहिंसक प्रतिरोध, विरोध और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के कार्य शामिल थे।

प्रमुख विशेषताऐं:

1. प्रतिभागी: पहले गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभागियों के एक विविध समूह ने भाग लिया, जिसमें भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों और समुदायों के नेता, ब्रिटिश अधिकारी, रियासतों के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे।
2. तीन मुख्य समूह: संवैधानिक सुधारों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए सम्मेलन के प्रतिभागियों को तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया गया था:
    - समूह **A:** इस समूह में स्वशासित प्रांतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल थे।
    - समूह **B:** रियासतों के प्रतिनिधियों से युक्त इस समूह ने भविष्य के भारतीय संघ में रियासतों की भूमिका पर चर्चा की।
    - समूह **C:** यह समूह धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व सहित अल्पसंख्यक हितों पर विचार करता था।
3. कांग्रेस का बहिष्कार: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, ने महात्मा गांधी सहित अपने नेताओं की कारावास के साथ-साथ प्रभुत्व की स्थिति और पूर्ण स्व-शासन के लिए स्पष्ट प्रतिबद्धता की अनुपस्थिति के विरोध में सम्मेलन का बहिष्कार किया।

परिणाम:

1. आंशिक समझौते: प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका। हालाँकि, कुछ मुद्दों पर आंशिक समझौते हुए, जैसे अल्पसंख्यक अधिकार और भविष्य के भारतीय संघ में रियासतों का प्रतिनिधित्व।

2. वार्ता का विवरण: सम्मेलन में चर्चा प्रतिभागियों के बीच मतभेदों से चिह्नित थी और भविष्य के भारतीय संघ की प्रकृति और रियासतों की भूमिका सहित महत्वपूर्ण मामलों पर आम सहमति हासिल करने में विफल रही।
3. कांग्रेस की भागीदारी: ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि सम्मेलन उसके प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों के लिए समर्थन जुटाने में मदद करेगा। कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने में विफलता उनके प्रयासों के लिए एक झटका थी।
4. बाद के सम्मेलन: प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इन सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा जारी रही लेकिन कोई व्यापक समझौता नहीं हो सका।
5. दीर्घकालिक प्रभाव: गोलमेज सम्मेलनों ने संवैधानिक विकास को आकार देने में भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1935 का भारत सरकार अधिनियम और अंततः, 1947 में भारत के लिए सत्ता का हस्तांतरण और स्वतंत्रता हुई।

प्रथम गोलमेज़ सम्मेलन, अपनी सीमाओं और प्रमुख भारतीय नेताओं की अनुपस्थिति के बावजूद, संवैधानिक चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण कदम था जो अंततः भारत के राजनीतिक भविष्य की दिशा को आकार देगा। इसमें भारत जैसे विविध और राजनीतिक रूप से गतिशील देश में स्वशासन की शर्तों पर आम सहमति बनाने में जटिलताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया।

LEARNING MANTRAS